



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240300
CG-DL-E-15112022-240300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944

No. 731]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 819(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी सचिव क्लालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्यांक (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(3) श्री दीपक कपूर,

सदस्य”।

महानिदेशक (वाणिज्यिक – II),

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय,

9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली – 110124

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3(4)/प्रकीर्ण/2015-पीआई]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि.68(अ), तारीख 06 फरवरी, 2012, सा.का.नि.564(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013, सा.का.नि.323(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015, सा.का.नि.969(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2015, सा.का.नि.328(अ), तारीख 22 मार्च, 2016, सा.का.नि. 539(अ), तारीख 23 मई, 2016, सा.का.नि. 1246(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2017 और सा.का.नि. 1001(अ), तारीख 08 अक्तूबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

G.S.R. 819(E).—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide*, number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007, namely:-

In the said notification, for serial number (3) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"(3) Shri Deepak Kapoor, Member".
Director General (Commercial-II),
Office of the Comptroller and Auditor General of India,
9, Deendayal Upadhyaya Marg,
New Delhi-110124.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3(4)/Misc./2015-PI]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i), *vide*, number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007 and subsequently amended, *vide*, number G.S.R. 68(E), dated the 6th February, 2012, G.S.R. 564(E), dated the 21 August, 2013, G.S.R. 323(E), dated the 27th April, 2015, G.S.R. 969(E), dated the 15th December, 2015, G.S.R. 328(E), dated the 22nd March, 2016, G.S.R. 539(E), dated the 23rd May, 2016, G.S.R. 1246(E), dated the 11th October, 2017 and G.S.R. 1001 (E), dated the 08th October, 2018.